

प्रकरण संख्या 179/2021 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. मनीष पुत्र गिरधारीलाल जी खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।

बनाम

-वादी

1. गुड्डी पुत्री भीमा जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गीताबाई पत्नी भीमा जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
3. गीताबाई पुत्री गंगारामजी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
4. चांदीबाई पुत्री भीमा जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
5. नानुबाई पुत्री गंगारामजी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
6. पप्पुलाल पुत्र धन्ना जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
7. भगवानीबाई पत्नी धन्नाजी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
8. रमेशचंद्र पुत्र धन्ना जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
9. रामलाल पुत्र धन्ना जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
10. सुशीलाल पुत्री धन्ना जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
11. हीरालाल पुत्र गंगारामजी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
12. जेतीबाई पत्नी पेमा जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
13. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री नरेन्द्र वैष्णव वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 760की आराजी नंबर 275 रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 14.08.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 मनीष पिता गिरधारीलाल खटीक सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
274/1	0.09
275/1	0.02

कुल किता-2 0.11 हैक्टेयर

2 गीताबाई, नानुबाई, हीरालाल पिता गंगाराम हरन बदस्तुर 31/112 जेतीबाई पत्नी पेमा रहन बदस्तुर 61/112 पप्पुलाल, रमेशचंद्र, रामलाल, सुशीला पिता धन्ना भगवानीबाई पत्नी धन्ना 20/112 रेगर सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
274 मीन	1.12

कुल किता-1 1.12 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा




3 गुड्डी, चांदी पिता भीमा, गीताबाई पत्नी भीमा 11/31, गीताबाई, नानुबाई,
 हीरालाल पिता गंगाराम रहन बदस्तुर 9/31, पप्पुलाल, रमेशचंद्र, रामलाल, सुशीला
 पिता धन्ना भगवानीबाई पत्नी धन्ना 11/31 रेगर सा.देह खातेदार
 आराजी न. रकबा (हैक्टेयर)
 275 मीन 0.31

कुल किता-1 0.31 हैक्टेयर

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व
 रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित
 करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना
 वहन करे।

चीज मुबलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की

गई।
 मुहर


 दस्तखत
 ओहदा
 सहायक कलेक्टर
 निम्बाहेड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

